बिहार सरकार

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

संकल्प

विषयः– राज्य में बिहार फिल्म एवं नाट्य संस्थान की स्थापना किये जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

राज्य में नाट्य एवं फिल्म शिक्षा के क्षेत्र में संस्थागत प्रशिक्षण केन्द्र का अभाव है। प्रतिभाशाली छात्र–छात्राएँ उच्च शिक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु अन्य राज्यों अथवा राष्ट्रीय संस्थानों (जैसे–राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली तथा फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे) पर निर्भर हैं। परिणाम स्वरूप राज्य में कला एवं सांस्कृतिक प्रतिभाओं का पलायन होता रहा है।

बिहार की समृद्ध नाट्य परंपरा (भिखारी ठाकुर का 'बिदेसिया', लोक नाट्य परंपरा, मैथिली एवं मगही नाटक) तथा राज्य में विकसित हो रही फिल्म रूचि एवं उद्योग की संभावनाओं को देखते हुए राज्य स्तर पर एक ''बिहार फिल्म एवं नाट्य संस्थान'' की स्थापना आवश्यक है।

2. इस संस्थान की स्थापना से राज्य में–

(i) स्थानीय प्रतिभाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण मिलेगा।

(ii) नाट्य एवं फिल्म उद्योग को गति मिलेगी।

(iii) रोजगार एवं उद्यमिता के अवसर विकसित होंगे।

(iv) बिहार की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सुदृढ़ता मिलेगी।

3. संस्थान की प्रस्तावित रूपरेखा–

(क) नाम– बिहार फिल्म एवं नाट्य संस्थान

(ख) संरचना–

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत स्वायत संस्था।

(ग) शैक्षणिक प्रावधान–

(i) नाट्य कला– अभिनय, निर्देशन, नाट्य लेखन, रूप सज्जा, ध्वनि– प्रकाश तकनीक, अभिकल्पन, संगीत आदि।

(ii) फिल्म अध्ययन– फिल्म निर्देशन, अभिनय, पटकथा लेखन, संपादन, सिनेमैटोग्राफी, ध्वनि, पोस्ट प्रोडक्शन गतिविधियाँ आदि।

(घ) पाठ्यक्रम–

(i) किसी विश्वविद्यालय से संबद्धता

(ii) स्नातक के उपरांत नामांकन

(iii) दो साल के अध्ययन उपरांत स्नातकोत्तर डिग्री

(iv) एक वर्ष का सर्टिफिकेट/डिप्लोमा कोर्स

(v) अल्पावधि/विशेष प्रशिक्षण कार्यशालाओं का प्रावधान

(ड़) भौतिक ढाँचा– प्रशासनिक खण्ड, ऑडिटोरियम, मिनी थियेटर, फिल्म स्टूडियो, संपादन कक्ष, पुस्तकालय, कक्षाएँ एवं छात्रावास।

(i) तात्कालिक तौर पर उपलब्ध किसी उपयुक्त भवन में इसके संचालन की व्यवस्था की जाएगी।

(ii) उपयुक्त भूखण्ड उपलब्ध होने पर संस्थान के भौतिक ढांचा का निर्माण कराया जायेगा।

4. संसाधन–

(i) राज्य सरकार द्वारा प्रारंभिक वित्तीय सहायता प्रदान किया जायेगा।

(ii) आगे चलकर केन्द्र सरकार, CSR एवं स्वयं की आय (फीस, प्रोडक्शन, शो) से भी वित्त जुटाया जाएगा।

(iii) व्यय का विकलन संस्थान से संबंधित नया बजट शीर्ष खोलकर राशि का प्रावधान किया जायेगा।

5. मानव संसाधन–

आवश्यकतानुसार पदों का सृजन प्रशासी पदवर्ग समिति के अनुमोदनोंपरांत किया जायेगा।

6. अपेक्षित लाभ–

(i) बिहार के युवाओं को उच्चस्तरीय प्रशिक्षण उपलब्ध होगा।

(ii) प्रतिभा पलायन में कमी आएगी।

(iii) लोक नाट्य एवं आधुनिक थियेटर का संरक्षण एवं विकास होगा।

(iv) फिल्म उद्योग के विस्तार से रोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।

(v) बिहार राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृति एवं फिल्म हब के रूप में प्रतिष्ठित होगा।

7. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में राज्य में बिहार फिल्म एवं नाट्य संस्थान की स्थापना किये जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करने के प्रस्ताव पर दिनांक 03.10.2025 को मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या–1 में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति सभी संबंधित विभाग/पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करायी जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

(प्रणव कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–2/वि.60–135/2024 (खण्ड)–**960**/पटना, दिनांक **03.10.2025**

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–2/वि.60–135/2024 (खण्ड)–**960**/पटना, दिनांक **03.10.2025**

प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग को हार्ड कॉपी एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3/10/25

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–2/वि.60–135/2024 (खण्ड)–**960**/पटना, दिनांक **03.10.2025**

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–2/वि.60–135/2024 (खण्ड)–**960**/पटना, दिनांक **03.10.2025**

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त बिहार/सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/संयुक्त सचिव/सभी निदेशक/उप सचिव/सभी पदाधिकारी, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक/महाप्रबंधक, बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित निगम लि0, पटना/सचिव, बिहार संगीत नाटक अकादमी, पटना/सचिव, बिहार ललित कला अकादमी, पटना/प्रशासी पदाधिकारी, भारतीय नृत्य कला मंदिर, पटना/निदेशक, मिथिला चित्रकला संस्थान, मधुबनी/सभी जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, बिहार/आई0टी0 प्रबंधक, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना (विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–2/वि.60–135/2024 (खण्ड)–**960**/पटना, दिनांक **03.10.2025**

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद की बैठक की मद संख्या–1 दिनांक 03.10.2025 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–2/वि.60–135/2024 (खण्ड)–**960**/पटना, दिनांक **03.10.2025**

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार/प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–2/वि.60–135/2024 (खण्ड)–**960**/पटना, दिनांक **03.10.2025**

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

3/10/25